



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2016/पौष 28, 1937

No. 135]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2016/ PAUSA 28, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2016

का.आ. 151(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में किसी भी तेल क्षेत्र में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 17 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 06.08.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.09.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.03.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/10/97—आइ.आर. (पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2016/माघ 13, 1937

No. 291]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016/MAGHA 13, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

का.आ. 337(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्प्रिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल विविध हाईड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिन में सिंथेटिक तेल, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 26 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/6/97-आई.आर.(पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2016

S.O. 337(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in industry engaged in manufacture or production of mineral oil (crude oil) motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, Lubricating oils and the like which is covered by item 26 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) should be declared to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act. for a period of six months.

[F. No. S-11017/6/97-IR (PL)]

G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2016/फाल्गुन 6, 1937

No. 511]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2016/PHALGUNA 6, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2016

का.आ. 594(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में तांबा खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 06.08.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.08.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.02.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस. 11017/11/97-आईआर(पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2016/फाल्गुन 24, 1937

No. 629]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2016/ PHALGUNA 24, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2016

का.आ. 1080(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में नाभिकीय ईंधन,संघटक, भारी पानी और संबंध रसायन तथा आणविक ऊर्जा, में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 28 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 06.08.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 14.09.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 14.03.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/97 -आइ.आर.(पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2016/फाल्गुन 24, 1937

No. 630]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2016/ PHALGUNA 24, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2016

का.आ.1081(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि युरेनियम उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97-आइ.आर. (पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2016/फाल्गुन 27, 1937

No. 683]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2016/PHALGUNA 27, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2016

का.आ. 1145(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में कोयला उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 4 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 24.09.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26 सितम्बर, 2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26 मार्च, 2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/97 -आई.आर. (पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938

No. 752]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/CHAITRA 9, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

का.आ. 1223(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में बैंकिंग उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 2 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 19.10.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.10.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.04.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

जी. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 968]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

No. 968]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

का.आ. 1480(अ.).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबोनी (पश्चिम बंगाल), में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 19.10.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 01 नवंबर, 2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 01 मई, 2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/96 -आइ.आर.(पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 969]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

No. 969]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

का.आ. 1481(अ.).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में 'अल्युमिना और अल्युमिनियम का विनिर्माण' तथा 'बॉक्साइट का उत्खनन' में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 30 एवं 31 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 26.10.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.10.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.04.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2011 -आइ.आर.(पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938

No. 1276]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

का. आ. 1861(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 02.12.2015 द्वारा भारतीय खाद्य निगम, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 02.12.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 02.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2016

S. O. 1861(E).— Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of

2595 GI/2016

(1)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1277]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938

No. 1277]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

का.आ. 1862(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में रक्षा प्रतिष्ठान में लगे उद्योगों की सेवाएं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 8 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 16.12.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.12.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/8/2011-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1278]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938

No. 1278]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

का.आ. 1863(अ).— जबकि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.12.2015 द्वारा घोषित वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित उद्योगों/प्रतिष्ठानों की सेवाओं को, जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 दिसम्बर, 2015 से छः माह की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, नामतः:-

- (i) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई, हैदराबाद और चेरियापल्ली जिन्हें प्रथम अनुसूची सूची की मद संख्या 11 में शामिल किया गया है;
- (ii) भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
- (iii) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
- (iv) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 में शामिल किया गया है;
- (v) बैंक नोट प्रैस, देवास, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 में शामिल किया गया है;
- (vi) करैसी नोट प्रैस, नासिक रोड, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 25 में शामिल किया गया है;


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1404]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2016/ ज्येष्ठ 16, 1938

No. 1404]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2016/ JYAISTHA 16, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 2003(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोहा एवं इस्पात उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाओं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 15.12.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 15.12.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस. 11017/7/2011—आइ.आर.(पी.एल.)]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1405]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2016/ ज्येष्ठ 16, 1938

No. 1405]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2016/ JYAISTHA 16, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2016

का.आ. 2004(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोह अयस्क खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 16 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 14.12.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 18.12.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 18.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस. 11017/13/97—आई.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1528]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938

No. 1528]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2016

का.आ. 2141(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक; 18.12.2015 द्वारा ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य) के प्रसंस्करण एवं उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक: 18.12.2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2003—आइ.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1735]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आषाढ़ 21, 1938

No. 1735]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

का.आ. 2381(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक: 02.02.2016 द्वारा खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल विविध हाईड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनमें सिंथेटिक तेल, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं में है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 26 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 02.02.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 01.08.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/6/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2016

S.O. 2381(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment, dated 02.02.2016 the services in Industry engaged in manufacture or production of mineral oil (crude oil) motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1999]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938

No. 1999]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि — पत्र

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

का.आ. 2676(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, सं. का.आ. 1632(अ), तारीख 4 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में पंक्ति 4 में "प्रमुख पत्तन" के स्थान पर "प्रमुख पत्तन, खदान" पढ़ें।

[फा. सं. एस-12011/3/2014-आईआर (पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2072]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2016/श्रावण 31, 1938

No. 2072]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2016/SRAVANA 31, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2016

का.आ. 2754(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में किसी भी तेल क्षेत्र में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 17 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 18.01.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.03.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.09.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/10/97—आइ.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2073]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2016/श्रावण 31, 1938

No. 2073]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2016/SRAVANA 31, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2016

का.आ. 2755(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में ताम्बा खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 25.02.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.02.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 26.08.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस-11017/11/97 –आई.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2134]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद्र 9, 1938

No. 2134]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2016

का.आ. 2821(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में युरेनियम उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 11.03.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 11 मार्च, 2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 11 सितम्बर, 2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोडा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2356]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2016/आश्विन 6, 1938

No. 2356]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016/ASVINA 6, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

का.आ. 3074(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में बैंकिंग उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 2 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 29.03.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.04.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.10.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/97-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2358]

नई दिल्ली, , बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2016/आश्विन 7, 1938

No. 2358]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2016/ASVINA 7, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 3076(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि नाभिकीय ईंधन, संघटक, भारी पानी और संबन्ध रसायन तथा आणविक उर्जा में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 28 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द्व) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/97-आई आर (पी.एल.)]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2016

S.O. 3076(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Industrial Establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and Components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy as Public Utility Service for which is covered by item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/3/97-IR (PL.)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

4641 GI/2016



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2359]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2016/आश्विन 7, 1938

No. 2359]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2016/ASVINA 7, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 3077(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि कोयला उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 4 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/97-आई आर (पी.एल.)]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2016

S.O. 3077(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Coal Industry which is covered by item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/2/97-IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

4642 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA
KUMAR

Digitally signed by
HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.01
10:57:15 +05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2443]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938

No. 2443]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 7 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3168(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में यात्रियों अथवा सामान की ढुलाई के लिए (भूमि अथवा जल द्वारा) परिवहन (रेलवे के आलावा) में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 1 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 22.04.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.04.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.10.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

फा. सं. एस-11017 / 1 / 2009—आइ.आर.(पी.एल.)
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2444]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938

No. 2444]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016

का.आ.3169(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबोनी (पश्चिम बंगाल), में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 22.04.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 01 मई, 2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 01 नवम्बर, 2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस-11017/2/96 -आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2695]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

No. 2695]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2016

का.आ. 3458(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि 'अल्युमिना और अल्युमिनियम का विनिर्माण' तथा 'बॉक्साइट का उत्खनन' में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 30 एवं 31 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2016

S.O. 3458(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the 'Manufacturing of Alumina and Aluminium' and 'Mining of Bauxite' which are covered by item 30 and 31 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industries to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/2/2011-IR (PL.)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

5305 GI/2016



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2778]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2016/अग्रहायण 4, 1938

No. 2778]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2016/AGRAHAYANA 4, 1938

श्राम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016

का.आ. 3550(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में रक्षा प्रतिष्ठान में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 8 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 24.05.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/8/2011-आइ.आर. (पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2942]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938

No. 2942]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4034(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोहा एवं इस्पात उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं जोकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 में शामिल हैं, को जैसाकि इस मंत्रालय की दिनांक 06.06.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 15.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/7/2011-आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2953]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938

No. 2953]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4045(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारतीय खाद्य निगम में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस-11017/5/91-आईआर(पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2016

S.O. 4045(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the 'Food Corporation of India (FCI)' which is covered by item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2954]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938

No. 2954]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4046(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक; 17.06.2016 द्वारा ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य) के प्रसंस्करण एवं उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक: 18.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2003—आइ.आर.(पी.एल.)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2955]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938

No. 2955]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4047(अ).— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोह अयस्क खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 16 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 06.06.2016 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 18.06.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 18.12.2016 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/13/97-आईआर(पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3020]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 3020]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2016

का.आ 4126(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 24.05.2016 द्वारा घोषित वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित उद्योगों/प्रतिष्ठानों की सेवाओं को जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 जून, 2016 से छः माह की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, नामतः :-

- (i) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई और हैदराबाद जिन्हें प्रथम अनुसूची सूची की मद संख्या 11 में शामिल किया गया है;
- (ii) भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय नासिक, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
- (iii) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
- (iv) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 में शामिल किया गया है;
- (v) बैंक नोट प्रैस, देवास जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 में शामिल किया गया है;
- (vi) करेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 25 में शामिल किया गया है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार का अब यह भी मत है कि लोकहित में इन उद्योगों/प्रतिष्ठानों को इसकी अधिसूचना की तारीख से आगे छः माह की अवधि के लिए उक्त लोक उपयोगी सेवा स्थिति का विस्तार अपेक्षित है।